

**मध्य प्रदेश शासन**  
**आयुष विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**-आदेश-**

भोपाल, दिनांक 28/07/2022

क्रमांक/एफ 2-39/2021/1/59:: समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की दिनांक 23/06/2022 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसाओं के अनुक्रम में निम्नलिखित आयुष (आयुर्वेद/होम्योपैथी) चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 3 में उल्लिखित समयमान वेतनमान कॉलम 4 में अंकित दिनांक से स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.	नाम/पदनाम/पदस्थापना	समयमान वेतनमान (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)	दिनांक जिससे समयमान वेतनमान देय है
1	2	3	4
1	डॉ. अरविन्द कुमार मोहने होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी-जिला बैतूल	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	29/10/2018
2	डॉ. स्नेहलता श्रीवास्तव होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, महा. भोपाल	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	24/11/2018
3	डॉ. रेणुका श्रीवास्तव होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, महा. भोपाल	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	02/11/2018
4	डॉ. संगीता टॉक होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, महा. भोपाल	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	22/11/2018
5	डॉ. साधना सुले होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, महा. भोपाल	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	22/11/2018
6	डॉ. के. पी. चौबे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, महा. भोपाल	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	10/02/2019
7	डॉ. गीता सुकुमारन आयुर्वेद चिकित्सा	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	10/02/2019



	अधिकारी, आयु.महा.भोपाल		
8	डॉ. गुरु प्रसाद वर्मा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला-श्यापुर	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	24 / 10 / 2019
9	डॉ. अनुपमा बागड़े आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला सिंगरौली	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	11 / 11 / 2019
10	डॉ. श्याम सुन्दर प्रजापति आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला सिंगरौली	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	24 / 11 / 2019
11	डॉ. अनिल वर्मा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला-हरदा	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	16 / 07 / 2020
12	डॉ. श्रद्धा नामदेव आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयु. महा. जबलपुर	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	01 / 07 / 2021
13	डॉ. धरम सिंह सोलंकी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला-बड़वानी	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	01 / 07 / 2016
14	डॉ. जितेन्द्र पन्ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला-मण्डला	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	03 / 07 / 2016
15	डॉ. सुरेन्द्र मण्डलोई आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला-खरगोन	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	03 / 07 / 2016
16	डॉ. गीता घोरमारे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला बालाघाट	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	07 / 07 / 2016
17	डॉ. संतोष कुमार परस्ते आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला डिण्डौरी	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	14 / 07 / 2016



18	डॉ. संवेदिता कुमरे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला-बालाघाट	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	14 / 07 / 2016
19	डॉ. गायत्री मरावी (अहाके) आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला-मण्डला	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	08 / 07 / 2016
20	डॉ. प्रियंका जाकरा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला-उमरिया	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	28 / 10 / 2019
21	डॉ. विजय चौके आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला- सिवनी	प्रथम नवीन (15600-39100+6600)	16 / 07 / 2016
22	डॉ. आशुतोष जोशी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (सेवानिवृत्त) जिला-धार	द्वितीय कार्योत्तर (15600-39100+7600)	01 / 04 / 2009
		तृतीय नवीन (37400-67000+8700)	01 / 07 / 2014
23	डॉ. अविनाश गवड़ी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (सेवानिवृत्त) जिला-बैतूल	तृतीय नवीन (37400-67000+8700)	01 / 07 / 2014
24	डॉ. कैलाश पवार आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (सेवानिवृत्त) जिला-ग्वालियर	तृतीय नवीन (37400-67000+8700)	30 / 06 / 2015

1/ कार्यालय प्रमुख द्वारा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से पुष्टि कर ली जावे :-

1.1 यदि किसी अधिकारी को समयमान वेतनमान की स्वीकृति की तिथि के पूर्व के सेवाकाल में कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाये।




1.2 सुनिश्चित करें कि समयमान वेतनमान की स्वीकृति दिनांक से विगत पांच वर्षों में कोई दण्ड प्रभावशील तो नहीं रहा है। यदि उक्त अवधि में दण्ड प्रभावशील रहा है तो उनसे संबंधित समयमान वेतनमान का यह स्वीकृति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

1.3 यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।

1.4 समयमान वेतनमान का लाभ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 11/1/2008 /नियम/चार, दिनांक 24/09/2008 के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र क्रमांक-एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 07.11.2009 के अनुसार किया जावे।

2/ इस आदेश द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदन पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


  
(पूजा शर्मा)  
उप सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/एफ 2-39/2021/1/59  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 28 /7/2022

- 1- विशेष सहायक, राज्यमंत्री, आयुष (स्वतंत्र प्रभार) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- निज सचिव, सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग भोपाल।
- 3- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4- संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन,.....।
- 5- प्रभारी, स्थापना-2 शाखा, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदशित करने हेतु।
- 6- संबंधित संभागीय आयुष अधिकारी, .....
- 7- संबंधित जिला आयुष अधिकारी .....
- 8- संबंधित डॉ.....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- आदेश फाइल।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग